न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 841 / 2022

अनवान : –

1. अतुल पुत्र सुभाष जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।
2. ईश्वर चन्द जांगिड़ पुत्र दुर्गाराम जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. दुर्गाराम पुत्र नोपराम जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र दुर्गाराम जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री दुर्गाराम जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।
4. सिलोचना पुत्री दुर्गाराम जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादीगण**
2. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 83/71 के खसरा न0 65 की कुल 5.7920हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर बाह्मी बंटवारे के अनुसार 1.171है0 भूमि पर वादी स0 1 काबिज है एवं 0.7596है0 भूमि पर वादी स0 2 काबिज है। जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाना चाहते है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर [illegible] की जावें की उक्त वादी भूमि जो की बंशी लाल खर्रा के नाम दर्ज राजस्व [illegible] है का नाम कलमजन कर वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम राजस्व [illegible] में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद

को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने जमाबंदी नकल रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर खाता स0 83/71, नकल पर्चाखतौनी रोही मौजा चक सरदारपुरा आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा हैं। प्रतिवादीया स0 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 83/71 के खसरा न0 65 की कुल 5.7920हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया कि यदि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 83/71 के खसरा न0 65 की कुल 5.7920हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1.171है0 भूमि का वादी स0 1 को एवं 0.7596हैक भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.4.23 को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:13 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 841/2022

अनवान : –

1. अतुल पुत्र सुभाष जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।
2. ईश्वर चन्द जांगिड़ पुत्र दुर्गाराम जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. दुर्गाराम पुत्र नोपराम जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र दुर्गाराम जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री दुर्गाराम जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।
4. सिलोचना पुत्री दुर्गाराम जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 841 सन 2022

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल व वकील प्रतिवादी रविन्द्र गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 83/71 के खसरा न0 65 की कुल 5.7920हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1.171है0 भूमि का वादी स0 1 को एवं 0.7596हैक भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:13 IST
Reason: SelfAttested